भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

नामांतरण अपील वाद सं0-10/2014-15

बुधान माझी **बनाम** विक्रम हाँसदा एवं अन्य

आदेश

27.7.18

यह अपील वाद अपीलार्थी बुधान माझी पिता स्व0 भादव माझी निवासी ग्राम-गांगदेसाई, पो0+थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ द्वारा अंचल अधिकारी, राजनगर के नामांरण वाद सं0-336/11-12 दिनांक 23.11.2011 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किये है। अपील दायर करने में विलम्ब के फलस्वरुप लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के तहत अलग से एक आवेदन प्रस्तुत किये है।

अपील सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया। निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख की मांग की गई तथा उत्तरवादीगण को सूचना दी गई। उत्तरवादी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए इसलिए अपीलार्थी का एकपक्षीय सुनवाई की गई। अपील का संक्षिप्त विवरण :-

अपीलार्थी बुधान माझी पिता स्व0 भादव माझी, मौजा-गांगदेसाई, थाना-राजनगर, थाना नं0-154 के खतियानी रैयत है। उनके पिता स्व0 भादो के नाम पर उक्त मौजा के खाता नं0-54, प्लॉट नं0-1037, रकवा-0.29 एकड़ एवं अन्य प्लॉट का कुल रकवा-24.29 एकड़ भूमि है। खतियानी रैयत अपीलार्थी के पिता स्व0 भादो माझी के देहान्त हो चुका है। उनके मृत्यु के पश्चात उनके चार पुत्र यथा 1. निमु माझी उत्तरवादी नं0-2 2. बुधान माझी अपीलार्थी 3. रतु माझी एवं भन्जु माझी तथा पत्नी (विधवा) नाहा माझीयान एवं दो अविवाहित पुत्रियाँ।

उक्त चार पुत्रों ने पिता के देहान्त के पश्चात आपसी बँटवारा सर्व सम्मति से करके अंचल अधिकारी, राजनगर के समक्ष बँटवारा नामान्तरण वाद सं0-310/80-81 दिनांक 09.10.1980 को पारित स्वीकृतादेश के अनुसार अलग-अलग जमाबंदी में लगान भुगतान कर रहे है। इसी बँटवारा एवं नामान्तरण के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट नं0-1037, रकवा-0.29 एकड़ अपीलार्थी के जमाबंदी में इन्द्राज हुआ एवं तदनुसार वे दखल कार है। उसी प्रकार सभी अन्य तीनों भाईयों को भी अलग-अलग जमाबंदी में आवंटित भूमि इन्द्राज हुआ है। उक्त खाता में 6.14 एकड़ युक्त रखा गया है जिससे विधवा माता एवं अविवाहित पुत्रियों का देखभाल भरण-पोषण हो सके।

उत्तरवादी नं0-2 ने अपने पुत्र उत्तरवादी नं0-1 को प्रश्नगत प्लॉट नं0-1037 रकवा 0.29 एकड़ भूमि बिक्री केवाला नं0'3426 दिनांक 23.06.2006 के माध्यम से अन्तरित किया है। इसी अन्तरण के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील दायर किये है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह भूमि अपीलार्थी एवं उत्तरवादीगण के अन्य दो हिस्से का संयुक्त भूमि से संबंधित है। आपसी सहमति से वर्ष 1980 में ही बँटवारा नामान्तरण वाद सं0-310/80-81 के आदेशानुसार जमाबंदी अलग हो गया है। जिसके अनुसार प्रश्नगत जमीन अपीलार्थी के जमाबंदी इन्द्राज है। प्रश्नगत भूमि

Scanned with CamScanner

प्लॉट नं071037 उत्तरवादी-2(विक्रेता) के हिस्से एवं दखल में नहीं है। उन्होंने शैताजीकर छल एवं कपटपूर्ण ढंग से झुठा बिक्री केवाला अपने पुत्र के नाम कर नामांतरण वाद सं0-336/11-12 दिनांक 23.11.2011 स्वीकृत कराये है।

उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी, राजनगर राजस्व कागजात, पंजी-II खतियान को अनदेखी कर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के झुठा एवं भ्राम जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण वाद सं0-336/11-12 की स्वीकृति दिये है। जिसमें कानून नियम प्रावधान एवं प्रक्रिया का अवहेलना हुई। अतः इसे निरस्त किया जाय।

उपर्युक्त तर्को एवं निम्न न्यायालय के संबंधित अभिलेख एवं प्रस्तुत कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के अपना पुश्तैनी भूमि के हिस्से में बँटवारा से प्राप्त भूमि है और अंचल अधिकारी, राजनगर के द्वारा नामांतरित कर जमाबंदी को प्रविष्ट कर अंकित है। अंचल अधिकारी इस जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण की स्वीकृति दिये है। उसकी सत्यता की जाँच करने में असफल हुए है। नामांतरण में जब कभी भी संयुक्त खाता किसी एक व्यक्ति द्वारा अपना हिस्से का जमीन बिक्री का दावा करते है, तो उनके अन्य हिस्सेदारों के सहमति प्राप्त कर ही स्वीकृति करने का प्रावधान राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, जो इस नामांतरण में नहीं किया गया है।

अतः नामान्तरण वाद सं0-336/11-12 में दिनांक 23.11.2011 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

तद्नुसार अपील आवेदन स्वीकृत।

लेखापित

27/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

27/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner